पत्रिका

चलती गाड़ी में शराब की अवैध फैक्ट्री

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर चल रहा था धंधा, 216 लीटर स्प्रिट के साथ पांच गिरफ्तार, फर्जी होलोग्राम व पैकिंग मशीन भी पकड़ी

khandwa

Jitendra Yadaw

खंडवा. इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की चलित फैक्ट्री पकड़ी है। कार्रवाई में 216 लीटर स्प्रिट सहित अवैध शराब बनाने के अन्य उपकरण शराब बोतलों की पैकिंग करने वाली बॉटलिंग मशीन, होलोग्राम, ढक्कन, शराब की बोतल और स्टिकर आदि सामान जब्त किया है। पुलिस के अनुसार हाईवे पर अवैध शराब की चलित फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी।

बुधवार शाम करीब 4 बजे ओंकारेश्वर ड्यूटी से लौट रहे हरसूद टीआई विश्वद्वीप परिहार को मुखबिर से मामले की सूचना मिली। एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर हरसूद और धनगांव थाना की पुलिस ने हाईवे स्थित एक ढाबे पर घेराबंदी कर दो कार सहित पांच आरोपितों को दबोच लिया। वाहनों की जांच की तो पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। जीप में ही शराब बनाने से लेकर पैकिंग और सरकार का नकली होलोग्राम तक मौजूद था। धनगांव पुलिस ने दोनों वाहन सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मास्टरमाइंड विजय व अकरम धराया

एएसपी के मुताबिक शराब का अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड विजय हिंडोन और अकरम था। यह खरगोन और खंडवा में अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। इनकी मदद मामा जायसवाल करता था। ये सब मिलकर चलित फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। हालांकि ये पूरा गिरोह है आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में ओर भी कई सदस्य गिरफ्त में आ सकते हैं। इसके अलावा विजय और मामा जायसवाल पुलिस के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। वहीं विजय से पुलिस ने दो बार बाउंड भराए थे। आरोपितों के रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस दोनों के खिलाफ जिलाबदर की कार्य करने की तैयारी कर रही है।

ये पांच आरोपित पकड़े

पुलिस ने बड़वाह के अकरम पिता सलीम खान, महादेवगढ़ झांकी अध्यक्ष विजय हिंडोन, बाहेती कॉलोनी निवासी मांगीलाल जायसवाल उर्फ मामा, भीकनगांव निवासी दया चारण और शिवचौक पंधाना निवासी अनुज पवार को पकड़ा है।

घात लगाकर बैठे रहे

एएसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि धनगांव-हरसूद की टीम ने शाम 4 बजे घेराबंदी की। हाईवे पर हरियाणा ढाबे पर कार एमपी09 एचई 3493 में तीन लोग थे। कुछ ही देर में जीप एमपी 12बी 3635 पहुंची। वाहनों से स्प्रिट की केन का लेनदेन हुआ। पुलिस ने आरोपितों को दबोच लिया।

स्प्रिट 1.30 लाख रु . की

जीप में पूरी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। बॉटलिंग मशीन, 6 केन में 216 लीटर स्प्रिट (अनुमानित कीमत 1.30 लाख रुपए) थी। देशी शराब की 200 खाली बोतलें, बोतल के 835 ढक्कन, 55 स्टिकर, फर्जी होलोग्राम के बंडल, 100 एमएल की नाप, थर्मामीटर, हाईड्रोमीटर रखे थे। इस शराब को हाईवे किनारे गांव व ढाबों पर खपाया जा रहा था। इसमें खरगोन जिला आबकारी के स्टीकर मिले हैं।

Source: https://www.patrika.com/khandwa-news/unique-way-of-liquor-smuggling-in-madhya-pradesh-1540866/